कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (केम्प सागर) म0प्र0

R 452 - I-17

गुलाब चन्द्र जैन आत्मज श्री मौजी लाल जैन

साकिन ग्राम केवलारी तहसील पथरिया जिला दमोह म0प्र0

— पुनरीक्षणकर्ता

// विरूद्ध //

1. भागचन्द्र जैन पिता मौजीलाल जैन
2. हुकुम चन्द्र जैन पिता मौजीलाल जैन
3. नेमीचन्द्र जैन पिता मौजीलाल जैन
4. पद्म चन्द्र जैन पिता मौजीलाल जैन
5. आलोक चन्द्र जैन पिता हुकुम चन्द्र जैन
6. कमल रानी पत्नि हुकुम चन्द्र जैन
7. संतोष रानी पत्नि गुलाब चन्द्र जैन

सभी निवासी ग्राम केवलारी तहसील पथरिया जिला दमोह म0प्र0

— उत्तरदातागण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0संहिता

यह पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पथरिया जिला दमोह के प्रकरण क्रं0 133अ/06 वर्ष 2015–16 भागचन्द्र जैन विरूद्ध गुलाब चन्द्र जैन एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.01.2017 से परिवेदित होकर विधि अनुसार निराकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत हैं।

पुनरीक्षणकर्ता निम्नानुसार प्रार्थी हैं :–

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता एवं उत्तरदातागण एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिनकी कृषि भूमियों का आपसी बटबारा एवं परिवारजन के अन्य सदस्यों के द्वारा स्वयं के द्वारा अर्जित पंजीकृत बैनामा से क्रय की गई भूमि का बटबारा किया जा चुका हैं।

3/1/17

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 452—एक/2017 जिला दमोह

गुलाब चन्द्र जैन विरूद्ध भागचन्द्र जैन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07—03—2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पथरिया जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 133/अ—6/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 17—1—2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दमोह के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06—05—2019 को कलेक्टर दमोह के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 07/3/19	